संख्या 6186-3 एस-69/

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, तथा

सभी उपायुक्त और उप-मण्डल अधिकारी।

दिनांक चण्डीगढ़, 10 दिसम्बर, 1969।

विषय:—गोपनीय रिपोर्ट —प्रतिकूल कथनों के विरुद्ध प्रतिवेदन।

श्रीमान जी,

मुझे प्रतिकूल-कथन के विरुद्ध प्रतिवेदनों से सम्बन्धित परिपत्र संख्या 2334-ए0 एस0 -1-60/15708, दिनांक 3 मई, 1960 में उल्लिखित सरकारी अनुदेशों के पैरा 11 की ओर ध्यान दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं जिन में यह बताया गया था कि रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों ने प्रतिकूल कथन कदाशय से दर्ज किये हैं। परन्तु बाद में यह प्रतीत हुआ है कि ऐसा आरोप गल्त था और बिना सोचे समझे तथा बिना आधार या औचित्य के लगाया गया था। सरकार इसे गम्भीर मामला समझती है और अनुभव करती है कि इस तरह के दोष के प्रति सख्त कार्यवाही की जाए क्योंकि यह अत्यन्त आपत्तिजनक तथा अनुशासन के विरुद्ध है। इस लिये इस बात पर जोर दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरतनी चाहिये और यह नोट कर लेना चाहिए कि यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार की चूक करे और कदाशय का निराधार आरोप लगाए तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा।

2. आप से अनुरोध है कि ये अनुदेश आप के नियन्त्रण के अधीन काम कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों के ध्यान में सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए लाए जाएं।

भवदीय,
आर0 डी0 माथुर,
सहायक सचिव, (प्रशासन),
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक-एक प्रति निम्न लिखित को सूचना के लिए भेजी जाती है :—

1. वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

हस्त:/- आर0 डी0 माथुर,
सहायक सचिव (प्रशासन)
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

(1) वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा।

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

दिनांक चण्डीगढ़ 10 दिसम्बर, 1969।

अशा: क्रमांक 6186–3एस0 69

एक प्रति मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिव और अन्य मन्त्रियों तथा संसदीय सचिवों के सचिव/निजी सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है।

आर0 डी0 माथुर,
सहायक सचिव, (प्रशासन),
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिव तथा अन्य मन्त्रियों और संसदीय सचिव के सचिवों/निजी सचिव।

अशासकीय क्रमांक 6186-3 एस0-69/ दिनांक चण्डीगढ़, 10 दिसम्बर, 1969।